3/6/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीया उपस्थित, विपक्षी के सम्मन बाद तामिल होकर रजि० एडी से प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय लेखक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:10:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यांयालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 198/24 प्रा.पत्र

1– श्रीमती कैसारी देवी w/o श्री रतनलाल खटीक निवासी-खटीक मोहल्ला माण्डल तहसील-माण्डल

–प्रार्थ–

बनाम

1– श्री सांवरमल s/o श्री नानुराम जाट निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल
2. श्री रामकुंवार s/o श्री नानुराम जाट निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनाकः– 13.6.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 10478/8680 कुल किता 01 रकबा 0.0322 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.5.24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 10478/8680 कुल किता 01 रकबा 0.0322 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.08.02 11:10:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि कमिश्नर फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा